IDEOLOGY OF COLONIAL STATE

औपनिवेशिक राज्यों की विचारधारा

यूरोप के देशों ने औपनिवेशिक आबादी पर नियंत्रण बनाये रखने के लिए कई प्रकार की नीतियाँ बनायी। औपनिवेशिक राज्यों के अपना प्रभाव बनाकर साम्राज्य विस्तार हेतु राजनैतिक हेर–फेर, धर्म, सम्पद्राय आदि को पूर्ण तरीके से प्रयोग में लाते थे। औपनिवेशिक जातियों पर यूरोपीय बौद्धिक श्रेष्ठता स्थापित की गई।

भारत में थॉमस मेटकाफ के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि नस्लीय विचारधारा औपनिवेशिक लोगों के कमजोर होने को परिभाषित करती है तथा उन्हें मजबूत व विकसित करने के लिए यूरोपीय लोगों का मार्गदर्शन जरूरी बताया गया है। ब्रिटिश इतिहास लेखन ने रेखांकित किया है कि भारत के असाधाराण मुगल राजाओं के पतन के पश्चात् भारतीय उपमहाद्वीप में अराजकता से भारत को खुद को बचाना होगा इसके लिए ब्रिटिश शासन को आवश्यक बना दिया।

इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य की विचारधारा रही की भारत के पुनरूत्थान व विकास के लिए ब्रिटिश मार्गदर्शन ही विकल्प है। समय–समय पर भारत में ब्रिटिश नीतियाँ व विचारधारा परिवर्तित होती रही। भारत में व्यापार वाणिज्य व साम्रज्य विस्तार के लिए ब्रिटिश सत्ता ने अनेक कानूनी व सामजिक प्रयोग किए। धर्म के अनुसाार भारत को बांटकर अपनी शक्ति को बरकरार रखने का उपाय भी किया गया ।

सर्वप्रथम ब्रिटिश सत्ता ने अपनी नीतियों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन प्राप्त किया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने पहले हिन्दू एजेन्टों का समर्थन किया क्योंकि वे ब्रिटिश सत्ता से कम शत्रुता रखते थे। जैसे–जैसे कांग्रेस पर हिन्दू व राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ने लगा, यह नीति उलट गई तथा ब्रिटिश राज ने अब मुस्लिम प्रतिनिधियों को तेजी से समर्थन करना शुरू कर दिया। इस प्रकार भारत में राजनैतिक विभाजन हेतु धर्म व सम्प्रदाय का प्रयोग किया जाने लगा।

Dr. Kailash Chand Gurjar

1757 से 1793 ई. तक का समय रचनात्मक साम्राज्यवाद का काल था। इस दौरान न तो भारतीय राजनैतिक व सामाजिक रूपों द्वारा निर्देशन था और न ही ब्रिटिश अधिकारियों के परिवर्तनकारी प्रयास के कारण। लेकिन फिर भी भारत में काफी बदलाव आये। औपनिवेशिक राज्य निर्माण का कार्य भारत के राजनीतिक अतीत के सकारात्मक दृष्टिकोण में निहित था। 18वीं सदी के उत्तरार्द्ध का काल भारत में संवैधानिक बहाली का साम्राज्य था।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी प्रारम्भ में अपना व्यापार–वाणिज्य सुरक्षित एवं विस्तारित करना चाहती थी अतः भारत में सिविल कानून को अपनाया गया। जो परम्परागत कानून व्यवस्था चली आ रही थी उनमें व्यापक एवं तेजी से परिवर्तन ना करके आवश्यकतानुसार ही धीरे–धीरे बदलाव किया गया। शीघ्र ही युद्ध व विजय के आधार पर प्रादेशिक साम्राज्य की स्थापना करने लगे। भारत में संसदीय नियंत्रण बनाये रखने के लिए 1773 से 1858 ई. तक अनके अधिनियम पारित किए गए। 1858 के बाद तो भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन ने सीधे अपने हाथ में ले लिया।

विभिन्न नीतियाँ बनाकर भारत में औपनिवेशिक राज्यों को भरोसे में लेकर विभिन्न शर्तों के साथ ब्रिटिश शक्ति और सत्ता को लागू किया गया। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण सीमांत व प्रादेशिक सीमाओं का सीमांकन किया गया। ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए भारत के औपनिवेशिक राज्यों की नीतियों ब्रिटिश सत्ता द्वारा बनाये जाने लगी।

कम्पनी द्वारा व्यापार–वाणिज्य को बढ़ाने के लिए राजनैतिक हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। संसदीय कार्यों में प्रगतिशील वृद्धि के लिए कार्य किए गए। उदारवाद की नीति भी अपनायी गई। गवर्नर जनरल विलियम बैंटिक के प्रशासन में उदारवाद दिखाई देता है। उसने विधायिका के शासन को स्थापित करने का प्रयास किया। इस दौरान ब्रिटिश नीतियों में परम्परागत भारतीय समाज तथा कानून के शासन पर आधारित ब्रिटिश पूंजीवादी व्यवस्था का संतुलन देखने को मिलता है।

1833 के एक्ट के तहत भारत में कम्पनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किए जाते हैं। अब नवीन रूप में आर्थिक व सामाजिक वातावरण बनाया जाात है। भाारतीय बाजार ब्रिटेन के सभी व्यापारी व नागरिकों के लिए खोल दिए गये। इसके

Dr. Kailash Chand Gurjar

लिए नए तरीके से प्रशासनिक परिवर्तन किए गये। नए कानून बनाये गए ताकि ब्रिटेन से अधिकाधिक नागरिक भारत आकर बसने लगे। उन्होंने भारत में अपना एक समूह बनाया जिसके तहत यहाँ अपने हितों की रक्षा व सुरक्षा की जाने लगी।

1861 ई. के अधिनियम के तहत प्रतिनिध्यात्मक सरकार और ब्रिटिश नौकरशाही के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया। ब्रिटिश सरकार ने भारत के मध्यम वर्ग (पढ़ा लिखा वर्ग) का समर्थन प्राप्त कर लिया जो उनके व्यापार व उद्योगों के विकास में सहायक सिद्ध हुआ।

विधान सभा व परिषदों में जमीदार, वकील आदि ने अपनी मांगों को मंजूद करवाने के लिए दबाव बनाया। इस कारण आमजन व किसानों ने असंतोष भी जाहिर किया। किसानों के हितों की रक्षा व सुरक्षा हेतु कई बार असंतोष को दबाया गया। 1909 के एक्ट में साम्प्रदायिकता को स्थापित कर अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति को और अधिक मजबूत किया।

Dr. Kailash Chand Gurjar

औपनिवेशिक राज्यों में पुलिस व्यवस्था

औपनिवेशिक राज्यों में प्रारम्भ में स्थानीय पुलिस प्रबन्धन का उपयोग ही अपराध पर नियंत्रण करने में कियास। कम्पनी शासन के प्रारम्भ के दौरान वारेन हेस्टिंग्स ने 'दरोगा' का पद बरकरार रखा जो जमीदरों द्वारा उपयोग में लिया जाता था। जब यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं लगी तो वारेन हेस्टिंग्स ने जिलों में मजिस्ट्रेट नियुक्त किये तथा जिलों को उप खण्डों में विभक्त कर दिया था।

एक दरोगा के अधीन 20—30 पुलिस कर्मियों की एक टोली होती थी जो 20—30 गाँवों के समूहों की देख—रेख करता थां दरोगा पर मजिस्ट्रेट का पूरा नियंत्रण होता था। जमीदारों की पुलिस संबंधी अधिकार 1793 में समाप्त कर दिये गये।

कार्नवालिस के शासन के दौरान जिला मजिस्ट्रेट को भू—राजस्व के साथ—साथ पुलिस प्रशासन संबंधी दायित्व भी देते थे। 1808—1812 में जब जिला पुलिस अधिक्षक की नियुक्ति की गई उसके पश्चात्, जिला मजिस्ट्रेट के भू—राजस्व व पुलिस संबंधी अधिकार कुछ अलग—अलग किए गये। 1844 में पूना प्रोपर्टी संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए मजिस्ट्रेट व पुलिस संबंधी अधिकार कलेक्टर को दिये गये। 1840 में उत्तर—पश्चिम प्रांतों में पुलिस संगठन में स्वायत्त अंगों की स्थापना की गई। जैसे अर्द्धसैन्य उपकरणों के माध्यम से राजनैतिक सत्ता को सहायता प्रदान करना।

सर चार्ल्स नेपीयर का पुलिस मॉडल सिंध प्रान्त में आयरिश पुलिस की तर्ज पर 1836 में स्थापित किया गया। इसके तहत सरल आवागमन एवं स्प्ष्ट व स्थिर उपक्रम तथा आर्मी के साथ सीधा व सामान्य सम्बन्ध स्थापित किया गया। इसमें लेफ्टिनेण्ट पुलिस अधिकारी संचालित एवं निर्देशित करने की व्यवस्था कर जिले के विभिन्न खण्डों में थानेदारों को जिम्मेदारी दी गई। 1859 ई. तक सिंध प्रान्त में 245 थाने थे। 1860 में पुलिस आयोग द्वारा इस प्रकार की पुलिस की सिफारिश की गई थी। यह 1861 के एक्ट के तहत स्थापित की गई। बम्बई व मद्रास के अलावा कई

Dr. Kailash Chand Gurjar

प्रान्तों में यह एक्ट लागू किया गया। बम्बई व मद्रास प्रान्तों के लिए अलग पुलिस एक्ट लागू किया गया।

पुलिस प्रशासन के उच्च पदों पर ब्रिटिश अधिकारी अपना प्रभाव रखते थे। 1887 में उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता व्यवस्था लागू की गई लेकिन यह केवल ब्रिटिश नागरिकों के लिए ही थी। निरिक्षकों से सहायक अधीक्षक के पद पर प्रमोशन भी किया जाता था।

एण्ड फ्रेजर पुलिस आयोग (1902—03) ने सिफारिश की कि शाही सेवा की शाखा जिसके तहत इंग्लैण्ड में भर्ती होती थी तथा प्रांतीय सेवा शाखा जिसके तहत सम्पूर्ण भारत में भर्ती होती थी। पुलिस कमीशन के बाद में भारतीयकरण का मुद्दा विदेशी नौकरशाही में आया। 1912 ई. में पुलिस आयोग के सदस्य के रूप में गोखले और जस्टिस अब्दुर रहीम ने भारतीयीकरण के विकल्पों के बारे में विदेशी पुलिस अधिकारियों के सम्बन्ध में अपनी चिंता जाहिर की 20वीं शताब्दी में धीरे—धीरे भारतीयकरण ने अपना स्थान लिया, असिस्टेण्ट पुलिस कमीश्नर व उससे ऊँचे पदों पर भारतीयों का अनुपात 1924 ई. में 10 प्रतिशत तथा 1946 ई. में 30 प्रतिशत तक बढ़ गया था।

औपनिवेशिक राज्यों में पुलिस संगठन का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व सैनय तत्वों का पुलिस संगठनात्मक एवं प्रशासनिक व्यवस्था का अंग होना था। यद्यपि औपनिवेशिक राज्य पब्लिक लॉ एवं पुलिस आदेशों के अनुरूप कार्यवाही एवं जिम्मेदारी निभाते थे सैनय कार्यवही तो सामाजिक मुद्दों को लेकर अधिक कही जाती थी। राजनैतिक मुद्दों को लेकर भी सैन्य कार्यवाही की जाती थी। बहुत सी कमजोरियाँ भी पुलिस संगठन का हिस्सा थी। उपकरणों का कमजोर होना प्रशिक्षण की पर्याप्तता की कमी एवं भ्रष्टाचार आदि कर्जन ने इन कमजोरियासें को चिन्हित कर दूर करने का प्रयास किया।

1857 ई. की क्रांति के पश्चात् तो ब्रिटिश राज्यों में पुलिस को ओर अधिक सशक्त एवं विश्वसनीय बनाने का प्रयास किया गया था। वफादार समुदाय एवं लोगों को अधिक तरहीज दी जाने लगी। जाति, धर्म आदि का भी भर्ती प्रक्रिया में

Dr. Kailash Chand Gurjar

सिद्धान्त तो समानता थी परन्तु व्यवहार में ब्रिटिश समर्थकों को अधिक महत्व दिया जाता था।

1857 ई. के बाद राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आदिविचारों को रोकना भी ब्रिटिश हुकूमत का दृष्टिकोण था। इस प्रकार औपनिवेशिक राज्यों में पुलिस संगठन धीरे–धीरे मजबूत किया गया। प्रारम्भ में मुगलकालीन पुलिस व्यवस्था को ही जारी रखा लेकिन कालांतर में आवश्यकतानुसार नये–नये कानून भर्ती प्रक्रिया, साधन–संसाधन, कार्यप्रणाली, पदों का विस्तार एवं बदलाव किया गया। उच्च पदों पर ब्रिटिश नागरिकों को अधिकाधिक भर्ती किया जाता था जो अपने अधीनस्थ भारतीय सिपाहियों का उपयोग ब्रिटिश राज के अनुकूल किया करते थे। वेतन व भत्ते तथा अन्य विशेषाधिकार भी ब्रिटिश नागरिकों को ही प्राप्त थे जिस कारण भारतीय सिपाहियों में असंतोष भी दिखाई देता था।

Dr. Kailash Chand Gurjar

औपनिवेशिक राज्यों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था (Political Economy of Colonial State)

ब्रिटिश साम्राज्यवाद आर्थिक शोषण के आधार पर टिका हुआ था। औपनिवेशिक राज्यों से अधिकाधिक लाभ कमाना ही उनका उद्देश्य था। भारत में भी ईस्ट इण्डिया कम्पनी (EIC) व्यापार व वाणिज्य के लिए ही आयी थी। ब्रिटिश शासन को उनके व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करने की नीतियाँ आरम्भ में रही थी। लेकिन बंगाल में आर्थिक शोषण के कारण उत्पन्न असंतोष से ब्रिटिश सरकार ने हस्तक्षेप प्रारम्भ किया था।

प्रारम्भिक तौर पर अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि औपनिवेशिक राज्यों में आय के प्रमुख स्रोत भू–राजस्व को उचित ढंग से संग्रहण (Collection) हेतु प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया। लगान निर्धारण एवं वसूली की अनेक पद्धतियाँ भारत में लागू की। उनका उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा अधिक धन कमाना ही रहा। ये नीतियाँ अंग्रेजी हितों की पूर्ति करती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा उद्योग एवं व्यापार वाणिज्य को भी ब्रिटिश राज के अनुकूल बनाने के लिए अनेक Policies अपनायी गई। भरत से सस्ते माल मसाला, सूती वस्त्र आदि खरीदकर यूरोप के बाजार में बेचकर बड़ा मुनाफा कमाया गया।

धीरे–धीरे भारतीय कुटीर उद्योग की कमर तोड़ दी गई तथा 1813 के एक्ट में कम्पनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके लंकाशायर तथा मेनचेस्टर के उद्योगपति अपने उद्देश्य पूरे करने लगे। कच्चा माल भारत से प्राप्त करके तैयार माल के भारत व अन्य बाजारों में बेचकर लाभ का बड़ा सौदा ब्रिटिश उद्योगपति उठाने लगे।

व्यापारिक फसलों के उत्पादन को बढ़ाया गया। रेशम, जूट आदि अंग्रेजों के लिए लाभ का सौदा बने। इसके लिए कृषि नीतियों में बदलाव किया गया। औपनिवेशिक विजय कमजोर देशों व लोगों को वश में करके साम्राज्यवाद युग व पूंजीवाद के उदय से पहले मौजूद था। परन्तु लेनिन ने बताया कि उपनिवेशवाद की भूमिका व महत्व साम्राज्यवादी युग में एक आवश्यक परिवर्तन से गुजरता है।

Dr. Kailash Chand Gurjar

औपनिवेशिक नीति के पुराने तरीकों में आर्थिक प्रभाव क्षेत्रों के लिए पूंजी के निर्यात के लिए कच्चे माल के स्रोतों के लिए एकाधिकार के संघर्ष को जोड़ा जाता है।

औपनिवेशिक काल में बुनियादी आर्थिक कानून की प्रमुख विशेषता पिछड़ें लोगों के साम्राज्यवादी राज्यों द्वारा दासता और व्यवस्थित लूट, स्वतंत्र देशों के आश्रितों के उत्तराधिकार में परिवर्तन है। साम्राज्यवादी काल विश्व अर्थव्यवस्था की पूंजीवादी व्यवस्था के गठन को पूरा करता है। इसमें वर्चस्व व अधीनता के सम्बन्धों पर निर्माता है। साम्राज्यवादी देशों ने उपनिवेशों को पूंजी के गहन निर्यात के माध्यम से उनके प्रभाव और औपनिवेशिक विजय के विस्तार द्वारा उनके शासन के अधीन कर लिया।

औपनिवेशिक स्तंभन और विजय साम्राज्यवादी अराजकता, हिंसा, औपनिवेशिक गुलामी, राष्ट्रीय उत्पीड़न, मानवीय अधिकारों की कमी, आखिरकार साम्राज्यवादी शक्तियों का संघर्ष औपनिवेशिक देशों के लोगों पर वर्चस्व के लिए आपस में टकराना इस कारण औपनिवेशिक व्यवस्था का आधार बनी।

उपनिवेशों की जीतने और लूटने से साम्राज्यवादी राज्य अपने ही देशों के भतर बढ़ते विरोधाभासों को दूर करने का प्रयास करते दिखाई देते है। औपनिवेशिक राज्यों के शोषण के लिए साम्राज्यवादी देशों ने रेलवे का निर्माण किया, कच्चे माल के उत्पादन के लिए औद्योगिक उद्यम स्थापित किए। कृषि का व्यवसायीकरण सस्ता श्रमिक वर्ग आदि उपनिवेशों में उपलब्ध होने के कारण साम्राज्यवादी देशों के लिए लाभ का सौदा ही था।

उपनिवेशों में शासक वर्ग, सामंत, जमीदार और पूंजीपति मजदूर वर्ग व किसान वर्ग का शोषण करते थे। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से पूर्व भूमिकर के रूप में किसानों से उपज का एक हिस्सा लिया जाता था। भारत विजय के पश्चात् ब्रिटिश अधिकारियों के भूमि का बन्दोबस्त करने की अनेक नीतियाँ अपनाकर नकद में भूमिकर वसूलना प्रारम्भ कर दिया। इससे कृषक का शोषण ही बढ़ता दिखाई देता है।

Dr. Kailash Chand Gurjar

मजदूरों की दशा तो और दयनीय थी। औपनिवेशिक श्रमिकों की मजदूरी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपर्याप्त थी। मजदूरों को सभी बिचौलियों शोषण का पात्र समझते थे। अत्यधिक आथ्रिक शोषण औपनिवेशिक लोगों को गरीबी और भुखमरी की आरे ले जाता है।

पूंजीवाद व साम्राज्यवाद के दौर में अनेक राज्यों द्वारा शोषण के खिलाफ क्रांतिकारी संघर्ष किए गए। विदेशी दासता के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। अक्सर विरोधियों द्वारार ये लड़ाई तोड़ी दी जाती थी। उपनिवेशों और आश्रित देशों के उत्पीड़ित लोगों के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष भी साम्राज्यवाद की नींव कमजोर करने का कार्य किया। इसमें सर्वहार वर्गों यानी किसान मजदूर आदि की बड़ी भूमिका रही।

Dr. Kailash Chand Gurjar

औपनिवेशिक राज्यों में विधि/कानून व्यवस्था
(Law in Colonial State)

औपनिवेशिक राज्यों में कानून व्यवस्था प्रारम्भ में पूर्व में चली आ रही निरंकुश न्याय व्यवस्था के रूप में शुरू की जाती है। इस स्वदेशी न्यायिक प्रणाली में अपराधियों को दण्ड उनकी जाति के अनुसार दिया जाता था क्योंकि मुगलकालीन कानून व न्याय व्यवस्था निरंकुश शासकों के हाथों में ही होती थी। जाति व्यवस्था में ऊँच नींच का भाव देखा जाता था। औपनिवेशिक राज्यों में समानता पर आधारित कानून व्यवस्था स्थापित कारने का प्रयास किया जाने लगा। कानून समानता को हालांकि सीमित दायरे में ही अपनाया गया, किंतु फिर भी यह एक महत्वपूर्ण कदम था।

ब्रिटिश शासक आपसी भेद एवं विशेषाधिकार या खास वर्ग/व्यक्ति को लाभ देने की वकालत भी करते थे। ब्रिटिश मामलों में खास महत्व दिया जाता था। बाकी सामुदायिक समानता की बात की जाने लगी। 1836 के पश्चात् ब्रिटिश व भारतीय सिविल मामलों में भी समानता स्थापित की गई।

भारत में कानून के प्रारंभिक स्रोत ही मौजूद थे। हिन्दू धर्म शास्त्रों के अनुसा हिन्दू कानून ने नियम निर्धारित किए जाते थे। मुस्लिम काननों का निर्माण काजी द्वारा की जाती थी अर्थात् पंडित और मौलवी कानूनों की मीमांसा किया करते थे।

अंग्रेज कानूनों को समझकर संहिताबद्ध करना चाहते थे। इससे पूर्व नागरिक एवं अपराधिक मामलों की एक्ट व्याख्या एवं स्पष्ट भेद भी कम ही दिखाई देता है। अब तक स्थानीय स्तर पर कानूनों का निर्धारण एवं दंड देने की व्यवस्था थी। ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायते एवं पंच पटेल मुकदमों का निपटारा किया करते थे।

औपनिवेशिक राज्यों में आधुनिक शहरों एवं कस्बों के पूर्व में प्रचलित कानून व्यवस्था में परिवर्तन कर नए प्रयोग करने की आश्यकता महसूस की गई, क्योंकि मध्यकालीन भारत में विधायिका कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के कार्यों में स्पष्ट व पूर्ण विभाजन नहीं होता था। राजा ही समस्त शक्तियों का स्रोत होता था। भारत में

Dr. Kailash Chand Gurjar

तीनों एजेंसीज (विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका) का स्पष्ट विभाजन ब्रिटिश राज में किया गया।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने बंगाल में वाणिज्यिक संगठनों के सन्दर्भ में कानूनी समानता स्थापित करना प्रारम्भ किया गया। धीरे–धीरे ब्रिटिश कानून का महत्व भारत में बढ़ता चला गया। भारत में 1770 के तेजी से प्रारम्भ किया जाता है। बड़े व्यवस्थित तरीके से भारतीय स्रोतो की लूट–पाट करना चाहता था। भारत में धीरे–धीरे ईस्ट इण्डिया कम्पनी की प्रभुता की सर्वोच्चता को स्थापित करना चाहता था ब्रिटिश राज।

धीरे–धीरे परम्परागत भारतीय कानून व दण्ड व्यवस्था का उन्मूलन करके समान कानूनों का निर्धारण किया जाने लगा जो अंग्रेजों के लिए विशेषकर लाभकारी है। एन.बी. हाल्हड का ''A Code of Gentoo Law (1776)'', एच.डी. कॉलब्रूक का ''The Digest of hindu Law on Contracts and Succession (1798)'' कानूनों को संहिताबद्ध करने के प्रारम्भिक प्रयास थे। इसमें सम्पत्ति, विरासत, शादी–विवाह, जाति एवं उत्तराधिकारी के नियम समानता पर आधारित कानूनों के अधीन लाये गये। औपनिवेशिक विचारों के आधार पर कानूनों को बदल कर नियमित व समान आधार पर लागू किया जाने लगा।

प्रथम कानून आयोग (1834) का मुखिया मैकाले को बनाया गया। उसने औपनिवेशिक कानूनों व नियमों की एक संहिता बद्ध श्रृंख्ला बनायी। Indian Panel Code 1860 समाजिक असमानता को दूर करने का प्रयास। The Code of Criminal Procedure (1872) साक्ष्यों की गुणवत्ताएवं संख्यात्मक के आधार पर तर्क संगत एवं न्यायसंगत कानून बनाने का प्रयास था।

उदारवादी पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति के पश्चात् नए–नए कानूनी प्रयोग औपनिवेशिक राज्यों में किए गये। उपयोगितावादी विचार व सिद्धानत के अनुसार जरूरत के हिसाब से कानूनों का निर्माण एवं परिवर्तन किया जाने लगा।

भारत में नौकरशाही

पृष्ठभूमि – हिन्दू राजाओं के समय से पारम्परिक भारतीय नौकरशाही चली आ रही है। राजा और उनके सामंत कानून व्यवस्था को बनाये रखने हेतु तथा राजस्व संग्रहण हेतु अधिकारियों के समूह की नियुक्ति करते थे। अशोक के समय से एक अधिक व्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिलती है। इस दौरान सम्पूर्ण राज्य में लोक सेवकों की एक पूरी श्रृंख्ला काम कर रही थी। गुप्त सम्राटों ने भी इसी व्यवस्था को कायम रखा। उच्च वर्ग के द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया जाता था। इस प्रक्रिया में भर्ती प्रशासनिक रूप से राजवंश से सम्बन्ध रखने वालों या उच्च वर्ग के लोगों का अधिक अहमियत दी जाती थी। भर्ती प्रक्रिया का कार्ड संस्थागत ढांचा प्राचीन काल में देखने को नहीं मिलता हे। राजा व उसके सामंत अपनी इच्छा व सुविधानुसार भर्ती किया करते थे।

मध्यकालीन शासकों का प्रशासन शासन करने के लिए अधिक प्रतिबद्ध था। आमजन की सेवा गौण दिखाई पड़ती है। उनका यहाँ के संस्कार व संस्कृति से अधाकि सरोकार नहीं था। इस दौरान की नौकरशाही कठोरता से भू–राजस्व वसूली के कार्य में अधिक संलग्न रहती थी। अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे। आम जनता पर अधिकारी नियंत्रन रखते थे। सरोकार सूरी और अकबर के शासनकाल के दौरान अम जनता की भलाई का कार्य जरूर दिखाई देते है। उनके काल में अधिकारी जिम्मेदारी व जवाबदेही से शासन के प्रति प्रतिबद्ध होते थे।

ब्रिटिश शासन में आधुनिक भारतीय नौकरशाही की स्थापना की गई। प्रारम्भ में इनके भी कुछ सीमित उद्देश्य थे। किन्तु कालान्तर में परिवर्तन दिखाई देता है। कानून व्यवसाि बनाये रखना व भू–राजस्व संग्रहण हेतु प्रशासनिक व्यवस्था ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने कायम की। भारत में कम्पनी ने अपना राजनैतिक एवं व्यापारिक विस्तार करना प्राप्त किया उसमें नौकरशाही की बड़ी भूमिका मानी जाती है।

कम्पनी के अधीन ब्रिटिश नौकरशाही ने भारतीय लोगों से अमानवीय व्यवहार करना प्रारम्भ किया। उनके शासकों द्वारा उन्हें असीमित अधिकार प्राप्त थे जिस कारण भारतीयों का ब्रिटिश नौकरशाही द्वारा शोषण किया गया। राजनैतिक एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनने हेतु ब्रिटिश नौकरशाही ने भारतीय व्यवस्था को बहुत प्रभावित कर अपने अनुकूल नियम कायदे स्थापित किये।

अपने लाभ के लिए भारत में कुछ सुधार हेतु नौक्रशाही ने कार्य किए रेलवे, टेलिग्राम, टेलिफोन, रेडियों आदि संचार एवं दूर संचार की व्यवस्थाएँ कायम की जिस कारण कम्पनी को अधिक सहजता से व्यापार बढ़ाने एवं राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित करने में सहयोग मिल सके। 1833 ई. के चार्टर एक्ट एवं विक्टोरिया की घोषणा में यह प्रावधान किया गया कि लोकसेवा में योग्यता के आधार पर भर्ती की जाऐगी। धर्म, जाति व रंगभेद नहीं किया जायेगा। ये सैद्धान्तिक आधैव, व्यावहारिक कम था।

Dr. Kailash Chand Gurjar

सैन्य व्यवस्था
(Armed Forces)

ईस्ट इण्डिया कम्पनी को प्रारम्भ में भारत में अपने व्यापार को सुरक्षित करने हेतु सैनिक टुकड़ियों की आवश्यकता होती थी। बाद में भारत में सैन्य शक्ति का प्रयोग भारत में राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित करने हेतु कियाजाने लगे। 1740 से ही कम्पनी के नियमों के तहत प्रेसिडेंसियल आर्मी थी जिसके तहत भारत में कम्पनी की तीनों प्रेसिडेंसी में अलग–अलग सेना स्वतंत्र रूप से कार्य थी।

1. बंगाल सेना
2. मद्रास सेना
3. बॉम्बे सेना

प्रारम्भ में मूलतः मद्रास की सेनाा सबसे बड़ी थी बाद में इसकी ताकत कम होती गई। कालांतर में बंगाल की सेना शक्तिशाली व विशाल होती चली गई। इन सेनाओं के माध्यम से कम्पनी ने भारत में अपना राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित किया। कम्पनी ने 1746 में कोर्ट सेंट जॉर्ज (मद्रास) पर फ्रांसीसी कब्जे के पश्चात् औपचारिक सेनाओं की स्थापना भाारत में की।

1750 ई. के पश्चात् स्थायी रूप से सेना ने कार्य किया। British Army and Royal Navy की इसमें बड़ी भूमिक रही। 1857 ई. की क्रांति तक कम्पनी थी सेना ने भारत में राजनैतिक विस्तार में मुख्य भूमिका अदा की। प्लासी व बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश कम्पनी की सेना ने विजय प्राप्त करके अपनी धाक जमा ली इस आर्मी का विकास एवं विस्तार समय–समय पर होता रहा। एक अध्ययन के अनुसार 1749–50 ई. में कम्पनी के पास 3000 टुकड़िया, 1763 ई. में 26000 टुकड़िया, 1778 ई. में 67000 टुकड़िया सेना की थी।

सेना में भारतीय सैनिक यूरोपीय प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। उच्च पदों पर अंग्रेज अधिकारी ही होते थे। उनके वेतन, भत्ते एक परिलाभ अधिक होते थे। 1803

ई. तक कम्पनी के पास 260000 निजी सेना भारत में थी। 1857 ई. की क्रांति को विफल करने में सेना का बड़ा हाथ था। 1857 ई. की क्रांति के पश्चात् 1858 ई. के अधिनियम के तहत कम्पनी 1858 के अधिनियम के तहत कम्पनी की सेना को भंग कर दिया गया। अंग्रेज अधिकारी एवं सैनिकों का ब्रिटिश सेना में स्थानान्तरण कर दिया गया था विभिन्न लाभ प्राप्त करके वे अपना जीवन बिताने लगे। देशी टुकड़ियाँ भंग कर दी गई, जिसमें भारतीय सैनिक थे।

Dr. Kailash Chand Gurjar